☎ कार्यालय–05947.251259

फैक्स–05947–255663

E-Mail :- eecdujnramnagar@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा,

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

रामनगर (नैनीताल) पिन कोड–244715

जस्टिफिकेशन नोट

परियोजना का नाम– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है० वन भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना एक अति महत्वपूर्ण योजना है, योजनान्तर्गत निकटवर्ती ग्राम ढिकुली, ग्राम लदुवाचौड़ हेतु स्वच्छ एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति हेतु 01 नग अपर जलाशय, 01 नग ट्यूबवैल/पम्प हाउस तथा पम्प हाउस के संचालन हेतु एक विद्युत संयोजन प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्त संरचनाओं/घटकों को स्थापित करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता न होने के कारण तथा योजना अभिकल्पन के अनुसार न्यूनतम 0.075 है० वन भूमि का चयन किया गया है, योजनान्तर्गत विभिन्न व्यास वर्ग की 11500 मीटर जी0आई0 पाइप लाईन का प्राविधान किया गया है। क्षेत्रविशेष में ग्रीष्म ऋतु में पानी के प्राकृतिक स्रोतों के सूख जाने के कारण ग्रामवासियों को पानी की समस्या हो रहीं है, जिसके निदान हेतु शासन द्वारा उक्त पेयजल योजना के निर्माण हेतु जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अतः उक्त वर्णित परीपेक्ष में केन्द्र सरकार की बहु–प्रचारित कार्यक्रम, जल जीवन मिशन के अनुरूप राजस्व ग्राम ढिकुली के ग्रामवासियों को सुचारू पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु, जनहित के दृष्टिकोण के दृष्टिगत उक्त योजना का निर्माण किया जाना अति आवश्यक व एक मात्र विकल्प है। अनुरोध है कि वन भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें।

प्रस्तावक विभाग

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम
रामनगर (नैनीताल)

प्रपत्र–10

परियोजना का नाम– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.075 है० वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण ..., उत्तराखण्ड पेयजल निगम
रामनगर (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
नैनीताल।

क्षेत्रीय लेखपाल

T. C. GHILDIYAL
Revenue Sub Inspector
Ramnagar/Chopra
Tehsil-Ramnagar (Ntl.)

TEHSILDAR
RAMNAGAR (NTL.)

उपजिलाधिकारी
रामनगर (नैनी0)

८१

प्रपत्र–8

परियोजना का नाम– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 605/2019 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन में प्रस्तावित ढिकुली पेयजल योजना हेतु 0.075 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु उक्त क्षेत्र में पेयजल योजना हेतु के निर्माण हेतु राजस्व विभाग तथा अन्य कोई सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि, नाप भूमि उपलब्ध न होने के कारण अन्य समरेखणों/स्थल पर विचार करना सम्भव नहीं है। उक्त प्रयोजन हेतु भूमि की माँग न्यूनतम हैं तथा वृक्षो का चयन भी न्यूनतम किया गया है।

अतः मात्र एक ही समरेखण (आरक्षित वन भूमि पर) को ही उक्त परियोजना हेतु उचित पाया गया जो कि प्रस्तावित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम
[illegible]